[1][नियम 10ख : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन

धारा 25की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार या हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता या कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा–विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएंगेः

सारणी

क्र.सं.	उद्देश्य
(1)	(2)
1.	नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए **प्ररूप जीएसटी आरईजी–21** में आवेदन फाइल करने के लिए
2.	नियम 89 के अधीन **प्ररूप आरएफडी–01** में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए
3.	नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए

परन्तु यदि उस व्यक्ति को जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणनन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

(क) अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और

(ख) **(i)** फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्तिः

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति आधार संख्या के आबंटन से तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा नियम 10ख अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।